दिनांक	आदेश
5/9/24	[illegible] सामार पैरोकार द्वारा उपस्थित होकर अदालत होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया शा० मि० किया गया। साथ ही पत्रावली पर तनकीयात कायमी की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 06/9/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
6/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप० वकील वादी ने अपना पत्र पेश किया था कि [illegible] साक्ष्य वादी [illegible] साक्ष्य प्रतिवादी साक्ष्य [illegible] पेश करना नहीं चाहते [illegible] जाते हैं [illegible] दावा वादी डिक्री किया जाता है [illegible] श्रा. कि [illegible] पत्रावली [illegible] हेतु [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी:– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:– 1 / 148 / 2020 दायर दिनांक:– 18 / 08 / 2020

पीसीएमएस नं0:– 2020 / 01111 निर्णय दिनांक:– 06 / 09 / 2024

बउनवान

1. पदमसिंह पुत्र सेडयाराम जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर वहैसियत राज0 राज्य

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर वहैसियत राज0 राज्य

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मशवरे अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति:–1.श्री मानसिंह चौधरी –अधिवक्ता वादी
2. सरकार पैरोकार तहसीलदार कठूमर

–:निर्णय:–

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से कि आराजी खसरा नम्बर 921 रकबा 1.34 हेक्ट0 1445 रकबा 0.28 हेक्ट0 946 रकबा 0.51 हेक्ट0 955 रकबा 0.23 हेक्ट0 ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादी की खरीदशुदा आराजी है जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 31.08.1990 के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। वक्त खरीद से ही विवादित आराजी पर वादी वहैसियत खातेदार के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर कृषक खातेदार है लेकिन बयनामा वादी का मूँहबोला नाम डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम बयनामा में दर्ज हो गया जवकि वादी का दस्तावेजी नाम पदमसिंह पुत्र सेडयाराम है जिस गलत इन्द्राज के कारण वादी

अधिकारी
(अलवर)

के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है तथा वादी विवादित आराजी में दर्ज गलत इन्द्राज डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम को कलमजन कराने का अधिकारी है कि जिस हेतु दावा इस्तकरारहक अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। गलत इन्द्राज को सही करने से इन्कारी के वाद प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व दावा पेश करने के लिये अलग से धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत श्रीमान से इजाजत ले ली गई है अतः वादीग ने दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर कथन किया कि नामा0 सं0 1001 जर्ये रजिस्ट्री घमलो पत्नी चन्दर कौम मीना सा0 खेडा तरफ बहतु द्वारा फूलसिंह पुत्र सेडूराम, डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम समान भाग कौम मीना 1/6 हिस्सा दर्ज होकर स्वीकार हुआ है। वाद संख्या 1/148/2020 में डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम मीना ने एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि वादी का नाम डूँगरसिंह के बजाय पदमसिंह पुत्र सेडूराम अंकित किया जावे। पदमसिंह के भाई फूलसिंह मीना ने एक 50 रूपया के स्टाम्प पर शपथ पत्र पर स्वंय ने लिखकर अपने वयान में अंकित किया कि पदमसिंह मेरा खास छोटा भाई है जिसका नामा0 में सहवन से डूँगरसिंह अंकित हो गया है। दिनांक 14.12.2021 को आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में मजमे आम में पर्चा मौका तैयार किया गया ज़िसमें मौतविरान ने डूँगरसिंह का सही नाम पदमसिंह ही बताया है तथा परिवार राशनकार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आर्मी सर्विस प्रमाण पत्र, मा0शि0 बोर्ड की अंकतालिका, आधारकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि सभी दस्तावेजों में बास्तविक नाम पदमसिंह ही दर्ज है। जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

वादी के दावा व प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) आया वाद वादी डिक्री किया जाना उचित है वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 921, 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में वादी खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है– जिम्मेवादी

अधिकारी (अलवर)

(2) आया वाद वादी आराजी खसरा नम्बर 921, 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में वादी प्रतिवादीगण को जरिये इस्करारहक व दुरूस्ती इन्द्राज कराने का अधिकारी है। –

जिम्मेवादी

(3) आया वाद प्रतिवादी दावा आराजी खसरा नम्बर 921, 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर को वाद वादी मेण्टनेविल ना होने के कारण खारिज योग्य है –

जिम्मेप्रतिवादी

(4) आया प्रतिवादी 921, 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर को वादी द्वारा प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश कियां है वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। –

जिम्मेप्रतिवादी

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी हाल, सत्य प्रतिलिपी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम भनोखर किता 2, नकल सत्य प्रतिलिपी इन्तकाल संख्या 1001, छांया प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सेडूराम मीना, परिवार राशनकार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आर्मी सर्विस प्रमाण पत्र, मा0शि0 बोर्ड की अंकतालिका, आधार कार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह कार्ड की छाया प्रति तथा ग्राम पंचायत भनोखर का लेटर पेड पर प्रमाण पत्र दिनांक 30.05.2022 व दिनांक 30.09.2022 शपथ पत्र फूलसिंह पुत्र सेडयाराम मीना स्टाम्प 50 रूपया पर पर्चा मौका रिपोर्ट प्रशासन गांव के संग दिनांक 14.12.2021 एंव शपथ पत्र कमल पुत्र सेडूराम जाति मीना दिनांक 15.07.2024 पेश किये है।

बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम पद्मसिंह पुत्र सेडयाराम अंकित है शपथ पत्रों में भी वादी का नाम डूॅगरसिंह ना होकर पदमसिंह पुत्र सेडयाराम होना कथन किया है। ग्राम पंचायत के लेटरपेड पर भी ग्राम पंचायत ने वादी का नाम डूॅगरसिंह ना होकर पदमसिंह बताया है। विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में मुख्य रूप

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

से अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर डूँगरसिंह का नाम पदमसिंह होना कथन किया है।

तनकी संख्या 1 वं 2– समान नेचर की है दोनों तनकियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। जिनको साविक करने का भार वादी पर है। पत्रावली के साथ वादी द्वारा जो दस्तावेज पत्रादि से डूँगरसिंह का नाम पदमसिंह पुत्र सेडयाराम प्रमाणित है इसके अलावा प्रशासन गांव के संग शिविर दिनांक 14.12.2021 में तैयार किये गये पर्चा मौका में मोतविरान ने वादी का नाम डूँगरसिंह ना होकर पदमसिंह होना कथन किया है। जो संलग्न पत्रावली है। समस्त दस्तावेजात के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की वजस के अवलोकन से वादी का नाम डूँगरसिंह ना होकर पदमसिंह पुत्र सेडयाराम होना सावित है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में सावित होने से वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 3 व 4– समान नेचर की है जिनको सावित करने का भार प्रतिवादी पर है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा में ना तो वादी के दावा के तथ्यों का विरोध किया है और ना ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पत्रादि पर एतराज किया है बल्कि जवाब दावा में वादी के पक्ष को स्वीकार किया है। वाद वादी किस कारण से मेण्टनेविल नहीं है प्रतिवादी ने सावित नहीं किया है अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त सभी तनकियां वहक वादी तय की गयी है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड पत्रादि के अवलोकन से वाद वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 921 के 1/12 हिस्सा व खसरा नम्बर 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर के 1/6 हिस्सा वावत राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी नाम डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम के स्थान पर पदमसिंह पुत्र सेडयाराम घोषित किया

अधिकारी
(अलवर)

जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड से डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

सुखराम पिण्डेल
आर.ए.एस

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/148/2020 दायर दिनांकः– 18/08/2020

जीसीएमएस नं0ः– 2020/01111 निर्णय दिनांकः– 06/09/2024

बउनवान

1. पदमसिंह पुत्र सेडयाराम जाति मीना निवासी भनोखर तहसील कठूमर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर अलवर वहैसियत राज0 राज्य
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर वहैसियत राज0 राज्य

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मशवरे अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 921 के 1/12 हिस्सा व खसरा नम्बर 1445, 946, 955 वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर के 1/6 हिस्सा वावत राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी का नाम डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम के स्थान पर पदमसिंह पुत्र सेडयाराम घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकार्ड से डूँगरसिंह पुत्र सेडूराम का नाम कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक 06.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)